F&E/1-23/SportsRectt/2023 I/166377/2025

### भारतीय डाक विभाग/DEPARTMENT OF POSTS मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, कर्नाटक परिमंडल, बैंगलूरु 560001 O/o The Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bengaluru-560 001

Memo No. R&E/1-23/Sports Rectt/2023 dated at Bengaluru 560001 the 22-8-2025

This is in continuation to this office memo of even numbers dated 06-12-2024, 04-03-2025 & 06-05-2025. Approval of the Competent Authority is hereby conveyed for withdrawal of rejection ordered in respect of Shri. Srinivasa B Sl.no.2 of memo of even number dated 04-03-2025 & in respect of Sri.Nithin vide memo of even no dated 06-05-2025 in view of further clarifications received from Postal Directorate and Ministry of Sports & Youth Affairs(MYAS).

- (2) In view of the above withdrawal, approval of the Competent Authority is hereby conveyed for release of provisional selection list as shown **in the annexure** enclosed to this memo in respect of cases mentioned as pending in Anneuxre I (status of verification of shortlisted candidates) to memo of even no dated 06.01.2024 to the cadre of Postal Assistant (PA) / Sorting Assistant (SA)/ Postman(PM) and Multi Tasking Staff(MTS) against vacancies upto 5% by Direct Recruitment reserved for meritorious sports persons under sports quota as per the online notification issued vide No. W-17/55/2022-SPN-I dated 08-11-2023 to the cadre of PA/SA/PM and MTS.
- (3) No further additional merit list shall be prepared/announced due to rejection of candidates and vacancy arising, if any, remaining unfilled shall be added to the total vacancies of next vacancy year. Instructions contained as per DOPT OM No.1720781414772 dated 04.03.2024 communicated vide Postal Directorate letter no.W-17/55/2022-SPN-I dated 29.11.2024 has also been taken into account for transfer / addition of unfilled vacancies to the total vacancies of next vacancy year.
- (4) The selection is also subject to any change in merit list of the selected candidate due to any unforeseen reason in accordance with the extant rules on the subject. The present result is further subject to correction of clerical mistake if any. The candidature of selected candidates is liable to be cancelled if later on it is found that the false information has been given by the candidate or the candidate was not eligible due to any criminal case against him/her. The selection has been recommended on the basis of information furnished by the candidate at the time online application. *In case, at any time, it is detected that the candidate(s) so selected had applied with false declaration or data, his/her selection will be cancelled without any notice by the appointing authority or by any other competent authority. For such an order this will be the notice issued in advance.* No separate notice will be issued whenever modification/revision/deletion/cancellations are ordered.
- (5) The selection of candidates is purely provisional subject to fulfilment of required conditions of relevant recruitment rules and verification of genuineness of various mandatory certificates produced by the candidates from the issuing authorities and Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports.
- **(6)** The candidates have to satisfy and fulfil the eligibility conditions prescribed by the Department for respective cadres.
- (7) The person selected to the post of Postman shall acquire a driving license to drive two wheeler or three wheeler or light motor vehicle within a period of two years from the date of his appointment. However, persons with disability shall be exempted from the requirement of driving license.
- (8) A candidate selected for Postman not having valid driving license at the time of appointment shall not earn periodical increment in pay till production of such license or for a period of five years from the date of appointment whichever is earlier and after production of such license or expiry of such five years period, pay shall be restored prospectively to the level pay would have reached had the periodical increment in pay was not withheld and no arrears of pay shall be paid for the intervening period.
- **(9)** The respective Divisional / Unit Head may direct the candidates listed in the Annexure to this memo to produce the originals of educational certificates and other documents such as caste certificate, certificate of date of birth etc. and undertake **its verification immediately** and on **completion of**

F&E/1-23/SportsBecht/2023 of all relevant documents, further action may be taken to issue offer of provisional appointment orders observing usual formalities. Applications along with the copies of the certificates in respect of the provisionally selected candidates are enclosed herewith for taking further necessary action at your end.

- (10)The original certificates have not been verified by the Circle Office except Form-I. Further actions such as verification of original certificates/testimonials/caste certificates etc., collection of pre-appointment papers, completion of pre-appointment procedures, is to be carried out by respective Divisions as per Directorate's instructions from time to time before issue of provisional appointment order. The Appointing Authority has to get the documents verified from the issuing authorities concerned.
- The following Original documents/particulars of the candidate(s) may be checked and got verified thoroughly before issue of provisional appointment order, with reference to the eligibility conditions notified vide Notification No. W-17/55/2022-SPN-I dated 08-11-2023:
  - Certificate regarding Date of Birth
  - b) Certificate relating to Educational qualification and Computer Knowledge
  - SC/ST/OBC/EWS certificates, if any, issued by the competent authority in prescribed format approved by the Government of India
  - In respect of OBC candidate, the extant guidelines regarding creamy layer status be strictly followed.
  - Age relaxation for various categories under Sports Quota recruitment, as mentioned below, may be allowed on production of necessary certificates. (Age relaxation for SC/ST/PH- Ten years, UR/OBC -Five years) as per notification.
  - Valid Photo ID proof. f)
  - Photograph, Signature in the applications needs to be verified with those actually submitted by the candidate(s) at the time of pre-verification/joining the service.
- In addition, pre-appointment formalities such as Character and Antecedent Verification & Medical (12)Examination etc. of the candidate(s) may also be completed as per the extant Rules and Regulations of the Government.
- All the candidates allotted to Postal Assistant/ Sorting Assistant/Postman/MTS cadre under Sports (13)Quota have been selected based on the Form-I certificate (representing for Country in an International Competition) submitted by the candidates through online applications. Form-I certificate uploaded by the candidate through online have already been verified from the prescribed authority.
- However, the genuineness of the certificates/documents supporting the eligibility of the candidates, all conditions prescribed in the notification issued vide No. W-17/55/2022-SPN-I dated 08-11-2023 and instructions issued by the Department have to be checked by the appointing authority concerned.

#### (15)The selection of candidates is based on the following terms and conditions:-

- a. The candidature of all candidates is provisional and selection is subject to fulfilment of all conditions prescribed above.
- b. The DOPT OM No. 18011/2(s)/216-Estt. (B)(i) dated 29.06.2016 which inter alia provides that the offer of appointment need not be withheld pending verification of character and antecedents.
- c. As per the DOPT instructions vide letter No. 36011/1/2012-Estt.(Res) dated 14.03.2016, where a selected candidate belongs to SC/ST/OBC category, is unable to produce a SC/ST/OBC certificate from the prescribed authorities, he/she may be appointed provisionally on the basis of whatever prima-facie proof he/she is able to produce in support of his/her claim, subject to his/her furnishing the prescribed certificate within a reasonable time.
- d. The merit list of the candidates is provisional and subject to completion of formalities like verification of all records, Medical examination from Competent Medical Officer and other verifications prescribed in the rules.
- e. If it is later found that any of these candidates was not eligible for recruitment under Sports Quota under the rules or instructions on the subject or other reasons or in case any mistake is

- later found with regard to announcement of the results of any candidate for any reason whatsoever, his/her name will be deleted from the list of successful candidates, as the case may be. The result is also subject to any change in merit list of selected candidates for any reason in accordance with the existing rules and instructions on the subject.
- f. As per Directorate's lr. No. 1-12/98/WL/Sports dated 10<sup>th</sup> March 1999 para no. 3(B) sub para 2(iii), the recruited Sportspersons should be adjusted against the category(SC/ST/OBC/EWS/UR) to which he/she belongs.
- g. The candidates have to satisfy and fulfill the eligibility conditions prescribed by the Department for respective cadres
- h. The selected candidates shall be liable to serve anywhere in India as and when required at the sole discretion of the appointing authority.
- Candidates furnishing false information/suppressing facts will be disqualified and shall be liable for debarment and legal/criminal action. Candidates who attempt fraud/impersonation shall be liable to be debarred from future recruitment process conducted by Department of Posts.
- j. The selected candidates after appointment shall be on probation for a period of not less than two (2) years. Confirmation after successful completion of probation shall be governed by prevailing rules/regulations/instructions of the Government of India.
- k. Selected candidates will have to undergo training as may be specified by the Department of Posts, which may be a pre-condition for completion of probation.
- (16) The following condition to be incorporated in the provisional appointment order being issued by the appointing authorities," In case, at any time, it is detected that the candidate(s) so selected had applied in online mode with false declaration or data, his/her selection will be cancelled without any notice by the appointing authority or any other competent authority. For such an order this will be the notice issued in advance. No separate notice will be issued whenever modification/revision/deletion/cancellations are ordered."
- (17) As per the instruction of DoPT OM No. 18011/2(s)/2016-Estt(B)(i) dated 29.06.2016 and OM No. 36011/1/2012-Estt.(Res) dated 14.03.2016, the call letter/offer of provisional appointment has to be issued to the selected candidates by Registered Post with acknowledgment due and to email id of the candidates, if available, without fail. If the letters are returned undelivered, the letter along with the envelopes containing remarks made by the postal authorities should be retained for record. After following the prescribed procedure, the offer of provisional appointment has to be cancelled by the appointing authority and cancellation order has to be issued and full facts of the case may be intimated to Circle Office. The application of such candidates should be returned to Circle Office along with the copy of offer of provisional appointment, subsequent reminder and memo of cancellation of candidature, only if the second letter /e-mail is also undelivered/unanswered.
- (18) The offer of provisional appointment order being issued by the appointing authorities shall clearly specify that, if any information or document submitted by the candidate is found to be incorrect at a later stage, which would have rendered him/her ineligible for appointment under Sports Quota recruitment, he/she shall be terminated from the service without notice.
- (19) The seniority may be fixed in the respective Divisions/units according to existing rules.
- **(20)** No further Supplementary list/ wait list will be maintained / published in respect of online notification issued vide No. W-17/55/2022-SPN-I dated 08-11-2023 to the cadre of PA/SA/PM and MTS notification. Any vacancy remaining unfilled including withheld cases, due to non-reporting of candidates or documents not found correct or for any other reason, shall be added to the overall vacancy of next vacancy year to carry out recruitment as per the provisions of the Recruitment Rules of the respective

F&E/1-23/Sports Cadre. With this memo, the online recruitment for the vacancy year-2023 under Sports Quota is treated as

closed for all purposes.

Kindly acknowledge the receipt of this letter through e-mail to rectt.ka@indiapost.gov.in.

Encl: (1) Annexure.

(2) Copy of Applications of candidates at Annexure.

Digitally signed by NAGASHAYANA HEGGADADEVANAKOTE SESHADRI Date: 23-08-2025 12:26:42

सहायक निदेशक Assistant Director (R & E) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय O/o the Chief Postmaster General कर्नाटक परिमंडल/Karnataka Circle बेंगलूरु/Bengaluru-560001

### A copy of this memo issued for information and necessary action to :-

- 1. The Postmaster General, South Karnataka Region, Bengaluru-560001
- 2. The Postmaster General, Bengaluru HQ Region, Bengaluru 560001
- 3. The Postmaster General, North Karnataka Region, Dharwad-580001
- 4. The General Manager (PA&F), Bengaluru-560001
- 5. The Asst. Postmaster General (Staff), Circle Office
- 6. The General Manager (CEPT), Bengaluru 560 001 with a request to upload this memo in Departmental website <a href="https://www.indiapost.gov.in">www.indiapost.gov.in</a>
- 7. The Asst. Director (Technology), Circle Office with a request to upload this memo in Karnataka Postal Circle website <a href="https://www.karnatakapost.gov.in">www.karnatakapost.gov.in</a>.
- 8. The Asst. Director (OL), Circle Office for translation of this memo to Hindi.
- **9.** All candidates listed in the Annexure(s) through India post website(<u>www.indiapost.gov.in</u>). **No individual correspondence will be made by this office to all the candidates.**
- 10. Office Copy.

Page 4 of 4

F&E/1-23/SportsRectt/2023

#### ANNEXURE (to memo No.R&E/1-23/Sports Rectt/2023 dated 22-08-2025)

# Details of provisionally selected Candidates Cadrewise and allotment of Divisions in respect of Online Sports Recuritment Notification No.W-17/55/2022-SPN-I dated 08-11-2023 -KARNATAKA CIRCLE

(Final List with reference to Annexure -I of memo dated 06-12-2024).

SI. NO	Online Registration No.	Name of the candidate	Name of the post to which selected	Category	Date of Birth	Education Qualification	Selected based on FORM-I (International Medals)	Sports Discipline	Division Allotted	Remarks
1	SP138582F7 27D41	SAYEDFATESHA VALI H BEPARI	Postal Assistant	OBC	21-04-1994	Graduation	GOLD=01	Tennis Ball Cricket	Dharwad	As per verification report received from Gen Secretary Tennis Ball Cricket Federation vide ltr No.VC- 363/786/TBCFI/GKP/25 dt 01-07-2025 received on 08- 07-2025.
2	SP84831AA 9E353E	NITHIN	Postal Assistant	OBC	15-05-1995	Graduation	GOLD=01	Net Ball	Mangaluru	As per clarification from Directoratevide vide letter No.W-17/3/2025-SPN-I- DOP dt 08-07-2025 received on 14-07-2025.
3	SP81E41AE CFEEFA	GODA PRUDHVI RAJ	Postal Assistant	SC	16-07-1998	Graduation	GOLD=01	Ball- Badminton	Bidar	
4	SP3DAF858 28FE5F	RANJITHA S M	Sorting Assistant	OBC	08-09-2000	Graduation	GOLD=01	Ball- Badminton	RMS "Q"	As per clarification received
5	SP88E5224 DE62D2	SUNIL.D	Postman	OBC	14-04-2000	10+2	GOLD=01	Ball- Badminton	Mandya	from Directorate vide letter No.W-17/14/2025-SSPN-1- DOP dtd 22-07-2025 received on 28-07-2025.
6	SP258A747 F261F6	YASHVANTHA. D	Postman	OBC	07-03-2002	Graduation	GOLD=01	Ball- Badminton	Mysuru	
7	SP43D438B EDED4D	SAIKIRAN DHARMULA	Postman	OBC	05-08-2002	10+2	GOLD=01	Ball- Badminton	Ballari	
8	SP0634DE6 B149AF	SRINIVASA B	Postman	OBC	30-09-2002	Graduation	GOLD=01	Tennis Ball Cricket	Mysuru	Clarification received from MYAS vide letter NO.9- 30/2025-SP-I dated 15-05- 2025 received at this office on 23.05.2025 & As per remarks at SI No.1.
9	SP39DCD42 441283	MEGHARAJA SHASHIKANTHA HIREGOWDARA	Postman	OBC	10-02-2003	10+2	GOLD=01	Ball- Badminton	Dharwad	As per clarification received from Directorate vide letter No.W-17/14/2025-SPN-I- DOP dtd 22-07-2025
10	SP393147E5 786D9	K.SAI DURGA PRIYANKA KAMILLI	Postman	OBC	06-03-2003	Graduation	GOLD=01	Ball- Badminton	Mysuru	received on 28-07-2025.

NOTE:-As per Directorate letter No.W-17/55/2022-SPN-I dated 07-02-2023, additional merit list will not be prepared due to rejection of candidates and vacancy, if any, remaining unfilled shall be added to the total vacancy of next vacancy year.

Digitally signed by NAGASHAYANA HEGGADADEVANAKOTE SESHADRI Date: 23-08-2025 12:27:42

1/166378/2025

# भारतीय डाक विभाग मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, कर्नाटक सर्किल, बेंगलूरु-560 001

सं. भर्ती व परीक्षा/1-23/खेल कूद भर्ती/2023 वेंगलूर -560001 दिनांक 22-08-2025

दिनांक 06-12-2024, 04-03-2025 06-05-2025 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में है। डाक निदेशालय और खेल एवं युवा मामले मंत्रालय (एमवाईएएस) से प्राप्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर श्री श्रीनिवास बी के संबंध में दिनांक 04-03-2025 के समसंख्यक ज्ञापन के क्रम संख्या 2 और श्री नितिन के संबंध में दिनांक 06-05-2025 के समसंख्यक ज्ञापन के तहत दिए गए अस्वीकृति आदेश को वापस लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रेषित किया जाता है।

- (2) उपरोक्त वापसी के मद्देनजर, दिनांक 06-01-2024 के समसंख्यक ज्ञापन के अनुलग्नक I (शॉर्टिलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के सत्यापन की स्थिति) में लंबित मामलों के संबंध में इस ज्ञापन के साथ संलग्न अनुलग्नक में दर्शाए अनुसार (शॉर्टिलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के सत्यापन की स्थिति) दिनांक 06-01-2024 के समसंख्यक ज्ञापन से लेकर डाक सहायक/छँटाई सहायक/पोस्टमैन एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ संवर्ग के लिए खेल कूद कोटा के तहत मेधावी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित 5% तक की रिक्तियों के विरुद्ध ऑनलाइन अधिसूचना संख्या डब्ल्यू -17/55/2022-एसपीएन-I दिनांक 08-11-23 के अनुसार पीए/एसए/पीएम/एमटीएस के संवर्ग के लिए अनंतिम चयन सूची जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन इसके द्वारा प्रेषित किया जाता है।
- (3) अभ्यर्थियों अस्वीकृति के कारण कोई अतिरिक्त मेरिट सूची तैयार/घोषित नहीं की जाएगी तथा यदि कोई रिक्ति रह जाती है तो उसे आगामी रिक्ति वर्ष की कुल रिक्तियों में जोड़ दिया जाएगा। डाक निदेशालय के पत्र संख्या डब्ल्यू-17/55/2022-एसपीएन-। दिनांक29-11-2024 के माध्यम से प्रेषित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1720781414772 दिनांक 04.03.2024 के अनुसार निहित अनुदेशों को अगले रिक्ति वर्ष की कुल रिक्तियों में रिक्तियों के स्थानांतरण/जोड़ने के लिए भी ध्यान में रखा गया है।
- (4) चयन, विषय पर विद्यमान नियमों के अनुसार, किसी अप्रत्याशित कारण से चयनित अभ्यर्थी की योग्यता सूची में किसी भी परिवर्तन के अधीन भी है। वर्तमान परिणाम में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि हो तो उसे सुधारा जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है यदि बाद में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दी गई है या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला होने के कारण वह पात्र नहीं था/थी। चयन की अनुशंसा ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी ने गलत घोषणा या डेटा के साथ आवेदन किया है, तो नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे आदेश के लिए यह अग्रिम रूप से जारी किया गया नोटिस होगा। जब भी संशोधन/ परिवर्तन/विलोपन/रद्दीकरण का आदेश दिया जाएगा, तो कोई अलग नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
- (5) अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः अनंतिम है, बशर्ते कि प्रासंगिक भर्ती नियमों की अपेक्षित शर्तों को पूरा किया जाए तथा जारीकर्ता प्राधिकारियों और खेल-कूद विभाग, युवा मामले और खेल-कूद मंत्रालय से अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनिवार्य प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का सत्यापन किया जाए।
- (6) अभ्यर्थियों को संबंधित संवर्ग के लिए विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
- (7) पोस्टमैन पद पर चयनित व्यक्ति को अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अविध के भीतर दो पिहया या तीन पिहया या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। हालाँकि, विकलांग व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता से छुट दी जाएगी।
- (8) पोस्टमैन के लिए चयनित अभ्यर्थी, जिसके पास नियुक्ति के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, को ऐसे लाइसेंस के प्रस्तुत करने तक या नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अविध तक, जो भी पहले हो, वेतन में आविधक वृद्धि नहीं मिलेगी तथा ऐसे लाइसेंस के प्रस्तुत करने या ऐसी पांच वर्ष की अविध की समाप्ति के बाद, वेतन को भावी रूप से उस स्तर पर बहाल कर दिया जाएगा, जिस स्तर पर वेतन में आविधक वृद्धि रोके न जाने पर मिलता तथा बीच की अविध के लिए वेतन का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

- (9) संबंधित मंडल/इकाई प्रमुख इस ज्ञापन के अनुलग्नक में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों जैसे जाति प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र आदि की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने तथा उनका तत्काल सत्यापन करने का निर्देश दे सकते हैं तथा सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के पश्चात सामान्य औपचारिकताओं का पालन करते हुए अनंतिम नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की प्रतियों सहित आवेदन पत्र आपके द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।
- (10) फार्म-I को छोड़कर मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन सर्कल कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। अनंतिम नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले निदेशालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित मंडल द्वारा आगे की कार्रवाई जैसे मूल प्रमाण पत्रों/प्रशंसापत्रों/जाति प्रमाण पत्रों आदि का सत्यापन, नियुक्ति-पूर्व कागजातों का संग्रहण, नियुक्ति-पूर्व प्रक्रियाओं को पूरा करना आदि कार्य किए जाने हैं। नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारियों से दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा।
- (11) अधिसूचना संख्या डब्ल्यू-17/55/2022-एसपीएन-I दिनांक 08-11-2023 द्वारा अधिसूचित पात्रता शर्तों के संदर्भ में, उम्मीदवार(रों) के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/विवरणों की अनंतिम नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले पूरी तरह से जांच और सत्यापन किया जाना है।
- क) जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र
- ख) शैक्षिक योग्यता और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण पत्र
- ग) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
- घ) ओबीसी प्रमाण पत्र के संबंध में, क्रीमी लेयर स्थिति से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- ङ) अधिसूचना के अनुसार खेल-कूद कोटा भर्ती के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु में छूट, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है। (अनुसूचित जाति/टी/पीएच के लिए आयु में छूट दस वर्ष, यूआर/ओबीसी के लिए पांच वर्ष)
- च) वैध फोटो पहचान प्रमाण
- **छ)** आवेदन में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर को पूर्व-सत्यापन/सेवा में शामिल होने के समय उम्मीदवार द्वारा वास्तव में प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना चाहिए।
- (12) इसके अतिरिक्त, नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताएं जैसे कि उम्मीदवार का चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण आदि भी सरकार के मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार पूरी की जा सकती हैं।
- (13) खेल-कूद कोटे के अंतर्गत डाक सहायक/छँटाई सहायक/डािकया/एमटीएस संवर्ग में आबंटित सभी अभ्यर्थियों का चयन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए फॉर्म-। प्रमाण पत्र (अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व) के आधार पर किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए फॉर्म-। प्रमाण-पत्र का पहले ही निर्धारित प्राधिकारी से सत्यापन किया जा चुका है।
- (14) हालांकि, उम्मीदवारों की पात्रता का समर्थन करने वाले प्रमाण पत्र / दस्तावेजों के दिशानिर्देश, जारी अधिसूचना संख्या डब्ल्यू-17/55/2022-एसपीएन-I दिनांक 08-11-2023 में निर्धारित सभी शर्तें और विभाग द्वारा जारी निर्देशों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जांचा जाना है।
- (15) उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर आधारित है:-
- **क.** सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी अनंतिम है और चयन उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ति के अधीन है।
- **ख.** डीओपीटी का दिनांक 29.06.2016 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/2(एस)/216-स्था.(बी)(i) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि नियुक्ति के प्रस्ताव को चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है।
- ग. पत्र संख्या 36011/1/2012-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14.03.2016 के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, जहां कोई चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित है, तथा

निर्धारित प्राधिकारियों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो उसे उसके दावे के समर्थन में जो भी प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करने में वह सक्षम है, उसके आधार पर अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह उचित समय के भीतर निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे।

- **घ.** अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अनंतिम है तथा सभी अभिलेखों के सत्यापन, सक्षम चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा परीक्षण तथा नियमों में निर्धारित अन्य सत्यापन जैसी औपचारिकताओं के पूरा होने के अधीन है।
- ङ यदि बाद में यह पाया जाता है कि इनमें से कोई भी अभ्यर्थी नियमों या विषयगत अनुदेशों के अंतर्गत खेल कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए पात्र नहीं था या अन्य कारणों से या किसी भी कारण से किसी अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा के संबंध में बाद में कोई गलती पाई जाती है, तो उसका नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची से हटा दिया जाएगा।
- च. निदेशालय के पत्र संख्या 1-12/98/डब्ल्यूएल/खेल-कूद दिनांक 10 मार्च 1999 पैरा संख्या 3(बी) उप पैरा 2(iii) के अनुसार, भर्ती किए गए खिलाड़ियों को उस श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/यूआर) के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए जिससे वह संबंधित है।
- छ. उम्मीदवारों को संबंधित संवर्गों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
- ज. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्ण स्वविवेकानुसार एवं आवश्यकतानुसार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- झ. गलत जानकारी देने/तथ्यों को छिपाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जो अभ्यर्थी धोखाधड़ी/प्रतिरूपण का प्रयास करेंगे, उन्हें डाक विभाग द्वारा आयोजित भविष्य की भर्ती प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है।
- ङ. नियुक्ति के बाद चयनित अभ्यर्थी कम से कम दो (2) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद स्थायीकरण भारत सरकार के प्रचलित नियमों/विनियमों/निर्देशों द्वारा शासित होगा।
- ट. चयनित अभ्यर्थियों को डाक विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जो परिवीक्षा पूरी करने के लिए एक पूर्व शर्त हो सकती है।
- (16) नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले अनंतिम नियुक्ति आदेश में निम्नलिखित शर्त शामिल की जाएगी, "यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी ने गलत घोषणा या डेटा के साथ ऑनलाइन मोड में आवेदन किया था, तो नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे आदेश के लिए यह अग्रिम रूप से जारी किया गया नोटिस होगा। जब भी परिवर्तन/संशोधन/विलोपन/रद्दीकरण का आदेश दिया जाएगा, तो कोई अलग नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।"
- (17) डीओपीटी के दिनांक 29.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/2(एस)/2016-स्था.(बी)(आई) और दिनांक 14.03.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/1/2012-स्था.(आरक्षण) के अनुदेश के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों को अनंतिम नियुक्ति का कॉल लेटर/प्रस्ताव पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा और अभ्यर्थियों के ई-मेल आईडी पर, यदि उपलब्ध हो, बिना चूके भेजा जाना है। यदि पत्र बिना वितरित हुए वापस आ जाते हैं, तो डाक प्राधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों वाले लिफाफों सहित पत्र को रिकार्ड के लिए रख लिया जाना चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनंतिम नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द किया जाना चाहिए तथा रद्दीकरण आदेश जारी किया जाना चाहिए एवं मामले के पूरे तथ्य सर्किल कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को अनंतिम नियुक्ति के प्रस्ताव की प्रति, अनुवर्ती अनुस्मारक तथा अभ्यर्थिता रद्द करने के ज्ञापन के साथ सर्कल कार्यालय को तभी वापस किया जाना चाहिए, जब दूसरा पत्र/ई-मेल भी अप्राप्त/अनुत्तरित हो।
- (18) नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले अनंतिम नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना या दस्तावेज बाद में गलत पाया जाता है, जिसके कारण वह खेल-कूद कोटा भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाता है, तो उसे बिना किसी नोटिस के सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

- (19) वरिष्ठता संबंधित मंडल/इकाइयों में मौजूदा नियमों के अनुसार तय की जा सकती है।
- (20) पीए/एसए/पीएम और एमटीएस अधिसूचना के संवर्ग के लिए दिनांक 08-11-2023 को जारी संख्या डब्ल्यू- 17/55/2022-एसपीएन-। के माध्यम से ऑनलाइन अधिसूचना के संबंध में आगे कोई पूरक सूची/प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाएगी/प्रकाशित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों के रिपोर्ट न करने या दस्तावेजों के सही न पाए जाने या किसी अन्य कारण से रोके गए मामलों सहित, भरी न गई कोई भी रिक्ति, संबंधित संवर्ग के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भर्ती करने के लिए अगले रिक्ति वर्ष की समग्र रिक्ति में जोड़ी जाएगी। इस ज्ञापन के साथ, खेल-कूद कोटा के अंतर्गत रिक्ति वर्ष-2023 के लिए ऑनलाइन भर्ती को सभी उद्देश्यों के लिए बंद माना जाता है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना rectt.ka@indiapost.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजें। संलग्नक: (1) अनुलग्नक

(2) अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि अनुलग्नक में दी गई है।

-sd-

(नागशयना एच एस)

सहायक निदेशक (भर्ती व परीक्षा) कृते मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कर्नाटक सर्किल, बेंगलूरु-560001

## सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित:-

- 1. पोस्टमास्टर जनरल, दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र, बेंगलूरु-560001
- 2. पोस्टमास्टर जनरल, बेंगलूर मुख्यालय क्षेत्र बेंगलूरु-560001
- 3. पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड-580001
- 4. महाप्रबंधक (डाक लेखा व वित्तीय), बेंगलूरु जीपीओ भवन बेंगलूरु-560001
- 5. सहायक पोस्टमास्टर जनरल (स्टाफ), सर्किल कार्यालय
- 6. महाप्रबंधक, डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलूरु-560001- www.indiapost.gov.in वेबसाइट पर परिणाम अपलोड करने हेत्।
- 7. प्रौद्योगिकी अनुभाग, सर्किल कार्यालय www.karnatakapost.gov.in वेबसाइट पर परिणाम अपलोड करने हेतु।
- 8. राजभाषा अनुभाग, सर्किल कार्यालय- हिंदी अनुवाद हेतु
- 9. अनुलग्नक में सूचीबद्ध सभी उम्मीदवारों को भारतीय डाक वेबसाइट (www.indiapost.gov.in) के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस कार्यालय द्वारा सभी उम्मीदवारों से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 10. कार्यालय प्रति